



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267672  
CG-DL-E-14112025-267672

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 737]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

फा. सं. बीसीआई:डी: 7842 / 2025,—

विदेशी नागरिकों के नामांकन और प्रैक्टिस पर भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम, 2025

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को "विदेशी नागरिकों के नामांकन एवं अभ्यास पर भारतीय बार परिषद् नियम, 2025" कहा जा सकता है।

(2) ये नियम भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।

2. नियमों का अनुप्रयोग

ये नियम भारत के अलावा अन्य देशों के उन नागरिकों पर लागू होंगे जो भारत में विधि पेशे को करने की अनुमति चाहते हैं, चाहे उनके पास भारत के किसी विश्वविद्यालय से या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री हो।

**3. पारस्परिकता की आवश्यकता**

- (1) किसी विदेशी नागरिक को इन नियमों के अंतर्गत नामांकन के लिए तभी विचार किया जाएगा जब भारत के विधिवत योग्य नागरिकों को उस विदेशी नागरिक के देश में लगभग समान और पारस्परिक शर्तों पर विधि पेशे को करने की अनुमति हो।
- (2) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के परामर्श के पश्चात् और उसकी सलाह पर, समय-समय पर पारस्परिक क्षेत्राधिकारों पेशों की सूची निर्धारित और प्रकाशित करेगी।
- (3) इस संबंध में भारतीय विधिज्ञ परिषद् का ऐसे परामर्श और सलाह के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**4. कार्यक्षेत्र**

- (1) कोई विदेशी नागरिक, जिसने भारत के किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विधि उपाधि प्राप्त की हो, केवल भारतीय विधि के गैर-मुकदमेबाजी संबंधी अभ्यास के लिए ही पंजीकृत होने का पात्र होगा, जिसमें परामर्श, परामर्श, दस्तावेजीकरण और लेन-देन संबंधी कार्य शामिल होंगे। ऐसे विदेशी नागरिक को भारत में किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अर्ध-न्यायिक निकाय के समक्ष सुनवाई या उपस्थिति का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (2) किसी विदेशी नागरिक को, जिसने भारत के किसी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त नहीं की है, भारतीय विधि का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा व्यक्ति केवल विदेशी विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित मामलों में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी विधि फर्मों के पंजीकरण और विनियमन हेतु नियम, 2022, यथा संशोधित 2025 के अनुसार, अभ्यास कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा अभ्यास भारतीय विधि पर कोई राय देने तक विस्तारित न हो।
- (3) इन नियमों में कोई भी बात अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अधीन न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगी, जिससे वह किसी गैर-अधिवक्ता को किसी विशिष्ट मामले में मामला-दर-मामला आधार पर उपस्थित होने की अनुमति दे सके।

**5. सदस्यता, प्रतिनिधित्व और अन्य अधिकारों पर प्रतिबंध**

- (1) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत कोई विदेशी नागरिक निम्नलिखित का हकदार नहीं होगा:—

(क) किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सदस्य होना।

(ख) किसी बार एसोसिएशन की सामान्य सभा का सदस्य होना या किसी बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करना।

(ग) किसी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल में किसी पदाधिकारी पद के लिए चुनाव लड़ना या उसे धारण करना।

(घ) किसी भी क्षमता में किसी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल या अधिवक्ताओं के अन्य सामूहिक निकाय का प्रतिनिधित्व करना।

(ई) राज्य विधिज्ञ परिषद् इन नामांकित के तहत पंजीकृत प्रत्येक विदेशी नागरिक को एक विशिष्ट नामांकन संख्या जारी करेगी जो भारत में नामांकित नियमित नामांकन संख्या से स्पष्ट रूप से अलग होगी।

विशिष्ट नामांकन संख्या निम्नलिखित संरचना में होगी:

“एफअनआर/राज्य कोड/वर्ष/क्रमांक”

(उदाहरण: एफअनआर/डीएल/2025/001) जहां “एफअनआर” विदेशी नागरिक पंजीकरण को सूचीबद्ध किया गया है, “स्टेट कोड” संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् को आवश्यक कोड को शामिल किया गया है, “वर्ष” पंजीकरण के वर्ष को दर्ज किया गया है, और “क्रमांक” को उस वर्ष जारी पंजीकरण की स्थायी संख्या को दर्ज किया गया है।

इस नियम के तहत जारी नामांकन प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह धारक भारत में केवल गैर-मुकदमेबाजी वाली विधि-व्यवसाय में संलग्न होने के लिए अधिकार देता है, जो परामर्श, सुझाव, शिक्षा और लेन-देन शैक्षणिक अभ्यास तक सीमित है, और भारत में किसी भी तरह से न्यायालय, न्यायाधिकार, अधिकारिक या अन्य मंच के समक्ष किसी विधि-व्यवसाय का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता है।

प्रमाण पत्र पर यह स्पष्ट और सुस्पष्ट टिप्पणी भी अंकित होगी कि किसी न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही में उपस्थित होना, दस्तावेज करना, कार्य करना या किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अंकित नहीं है, न ही किसी भारतीय न्यायालय, न्यायिक अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि करने के रूप में कोई भी योग्यता रखेगा, यह अंकित होगा।

- (2) इन नियमों के तहत पंजीकृत कोई विदेशी नागरिक किसी भी बार एसोसिएशन, राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रशासित कोई वित्तीय सहायता, कल्याणकारी लाभ या योजना प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय बार काउंसिल द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया जाए।
- (3) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत कोई विदेशी नागरिक निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा:—
  - (क) विधिक सहायता, सरकारी पैनल, या अधिवक्ता पैनल की आवश्यकता वाले किसी सार्वजनिक पद के लिए पैनल में शामिल होने के लिए।
  - (ख) न्यायपालिका या न्यायिक सेवाओं में उपस्थित होने या नामांकित होने के लिए, या न्यायिक या अन्य विधिक सेवाओं के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए, जब तक कि केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।

## 6. वीजा और कार्य प्राधिकरण

- (1) कोई भी विदेशी नागरिक इन नियमों के अंतर्गत भारत में वकालत करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसके पास भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध वीजा या कार्य परमिट न हो, जो ऐसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हो।
- (2) ऐसे वीजा या कार्य परमिट की शर्तें और नियम इन नियमों के तहत दिए गए नामांकन पर बाध्यकारी होंगे, और इसके किसी भी उल्लंघन से पंजीकरण तत्काल निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
- (3) ऐसे वैध वीजा या कार्य प्राधिकरण के बिना कानून का अभ्यास करना, आव्रजन कानून के उल्लंघन के अलावा विधिक पेशों का कदाचार भी माना जाएगा।

## 7. व्यावसायिक आचरण और अनुशासन

- (1) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक विदेशी नागरिक उन्हीं विधिक पेशों के मानकों, आचरण नियमों और शिष्टाचार के अधीन होगा जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नामांकित अधिवक्ताओं पर लागू होते हैं।
- (2) ऐसा विदेशी नागरिक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 और 36 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के अधीन होगा, उसी प्रकार जैसे भारत में नामांकित अधिवक्ता होता है।
- (3) विधिक पेशों के आचरण का कोई भी उल्लंघन, इन नियमों का उल्लंघन, या वैध वीजा या कार्य प्राधिकरण के बिना अभ्यास करना विधिक पेशों के कदाचार माना जाएगा।

## 8. निलंबन और निरस्तीकरण

भारतीय विधिज्ञ परिषद् निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में भी इन नियमों के अंतर्गत किसी विदेशी नागरिक का पंजीकरण निलंबित या रद्द कर सकती है:—

- (क) यदि स्वदेश के साथ पारस्परिक संबंध समाप्त हो जाएँ।
- (ख) यदि वीजा या कार्य प्राधिकरण समाप्त हो जाए, रद्द कर दिया जाए या अमान्य पाया जाए।

- (ग) यदि विदेशी नागरिक अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों और संकल्पों के प्रावधानों के अनुसार पेशेवर कदाचार या इन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है।
- (घ) यदि नामांकन गलत बयानी, दमन या धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों और संकल्पों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- (ङ) यदि केंद्र सरकार द्वारा जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति संबंधी चिंताओं के आधार पर निर्देश दिया गया हो।

### 9. भारतीय अधिवक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा

इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नामांकित अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों को किसी भी प्रकार से कमजोर, प्रतिबंधित या प्रभावित करती है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29, 30 और 33 के अनुसार, भारत में न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों के समक्ष सुनवाई का अनन्य अधिकार ऐसे अधिवक्ताओं में निहित रहेगा।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी कानून" का अर्थ भारत के अलावा सभी क्षेत्राधिकारों के कानून होंगे। इन नियमों के अंतर्गत नामांकित किसी विदेशी नागरिक को विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का अभ्यास करने के लिए भारत में नामांकित किसी अधिवक्ता के समान अधिकार और सीमाएँ प्राप्त होंगी, जैसा कि भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी विधि फर्मों के पंजीकरण और विनियमन हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 (2025 में संशोधित) के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

ऐसा विदेशी नागरिक, किसी अन्य देश की नागरिकता के आधार पर, उस देश में अपने देश के कानून का अभ्यास करने के लिए किसी भी स्वचालित अधिकार का दावा नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा देश स्वतंत्र रूप से अपने कानूनों के तहत व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है।

Jhark Iiu, प्रधान सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./473/2025-26]

## BAR COUNCIL OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

**F. No. No. BCI:D: 7842/2025.—**

### Bar Council of India Rules on Enrolment and Practice of Foreign Nationals, 2025

#### 1. Short Title and Commencement

- (1) These rules may be called the Bar Council of India Rules on Enrolment and Practice of Foreign Nationals, 2025.
- (2) They shall come into force on such date as may be notified by the Bar Council of India.

#### 2. Application of the Rules

These rules shall apply to nationals of countries other than India who seek permission to practice law in India, whether by virtue of holding a law degree from a University in India or from any foreign University.

#### 3. Reciprocity Requirement

- (1) A foreign national shall be considered for enrolment under these rules only if duly qualified citizens of India are permitted to practice law in that foreign national's country on substantially equivalent and reciprocal terms.
- (2) The Bar Council of India shall determine and publish, from time to time, the list of reciprocal jurisdictions, after consultation with and on the advice of the Ministry of External Affairs of the Government of India.
- (3) The decision of the Bar Council of India in this regard, based on such consultation and advise, shall be final and binding.

**4. Scope of Practice**

- (1) A foreign national who has obtained a recognised law degree from a University in India shall be eligible to be registered only for non-litigious practice of Indian law, which shall include advisory, consultancy, documentation and transactional work. Such foreign national shall have no right of audience or appearance before any court, tribunal, authority or quasi-judicial body in India.
- (2) A foreign national who has not obtained a law degree from a University in India shall not be permitted to practise Indian law. Such a person may only practise in matters concerning foreign law, international law and international commercial arbitration, in accordance with the Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022, as amended in 2025, provided that such practice shall not extend to rendering any opinion on Indian law.
- (3) Nothing in these rules shall restrict the discretionary power of a court under Section 32 of the Advocates Act, 1961 to permit a non-advocate to appear in a specific matter on a case-by-case basis.

**5. Restrictions on Membership, Representation, and Other Entitlements**

- (1) A foreign national registered under these rules shall not be entitled to:-
  - (a) be a member of any State Bar Council or the Bar Council of India.
  - (b) be a member of the general body of any Bar Association or cast a vote in any Bar Association election
  - (c) contest for or hold any office-bearer position in any Bar Association or Bar Council.
  - (d) represent any Bar Association, Bar Council, or other collective body of advocates in any capacity whatsoever.
  - (e) The State Bar Council shall issue a distinct enrolment number to every foreign national registered under these rules that is clearly differentiated from the regular enrolment numbers allotted to advocates enrolled in India.

The distinct enrolment number shall be in the following format:

“FNR/State Code/Year/Serial Number”

(Example: FNR/DEL/2025/001) where “FNR” denotes Foreign National Registration, “State Code” denotes the code assigned to the respective State Bar Council, “Year” represents the year of registration, and “Serial Number” denotes the sequential number of registration issued in that year.

The enrolment certificate issued under this rule shall expressly state that it authorizes the holder to engage only in non-litigious practice of law in India, limited to advisory, consultancy, documentation and transactional work, and does not confer any right of audience or appearance before any court, tribunal, authority or other forum in India.

The certificate shall also bear a clear and conspicuous note to the effect that the holder is not entitled to appear, plead, act, or represent any person in any judicial or quasi-judicial proceeding, nor to give evidence or make submissions on oath in any capacity as an advocate before any Indian court, tribunal, or authority.

- (2) A foreign national registered under these rules shall not be eligible to receive any financial aid, welfare benefits, or schemes administered by any Bar Association, State Bar Council, or the Bar Council of India, unless specifically authorised by the Bar Council of India with prior approval of the Central Government.
- (3) A foreign national registered under these rules shall not be eligible:-
  - (a) to be empanelled for legal aid, government panels, or any public office requiring advocate empanelment
  - (b) to appear for or be nominated to the judiciary or judicial services, or to sit for any competitive examination for judicial or other legal services, unless expressly permitted by the Central Government or the concerned State Government, as the case may be.

**6. Visa and Work Authorisation**

- (1) No foreign national shall be entitled to practise law in India under these rules unless he or she holds a valid visa or work permit expressly authorising such professional activity, issued by the Ministry of Home Affairs of the Government of India.
- (2) The terms and conditions of such visa or work permit shall be binding upon the enrolment granted under these rules, and any contravention thereof shall render the registration liable to immediate suspension or cancellation.

- (3) Practising law without such valid visa or work authorisation shall constitute professional misconduct in addition to constituting a violation of immigration law.

**7. Professional Conduct and Discipline**

- (1) Every foreign national registered under these rules shall be subject to the same professional standards, rules of conduct and etiquette as are applicable to advocates enrolled under the Advocates Act, 1961.
- (2) Such foreign national shall be subject to the disciplinary jurisdiction of the State Bar Council and the Bar Council of India under Sections 35 and 36 of the Advocates Act, 1961, in the same manner as an advocate enrolled in India.
- (3) Any breach of professional conduct, violation of these rules, or practice without valid visa or work authorisation shall constitute professional misconduct.

**8. Suspension and Cancellation**

The Bar Council of India may suspend or cancel the registration of a foreign national under these rules in any of the following circumstances:-

- (a) If reciprocity with the home country ceases to exist
- (b) If the visa or work authorisation lapses, is revoked or is found to be invalid
- (c) If the foreign national is found guilty of professional misconduct or violation of these rules as per provisions of the Advocates Act, 1961 and Rules and Resolutions of the Bar Council of India.
- (d) If enrolment has been obtained by misrepresentation, suppression or fraud, action may be taken as per provisions of the Advocates Act, 1961 and Rules and Resolutions of the Bar Council of India.,
- (e) If directed by the Central Government on grounds of public interest, national security, or foreign policy concerns.

**9. Saving of Rights of Indian Advocates**

Nothing in these rules shall be construed to dilute, restrict or affect in any manner the rights, privileges and interests of advocates enrolled under the Advocates Act, 1961. The exclusive right of audience before courts, tribunals and authorities in India shall remain vested in such advocates, in accordance with Sections 29, 30 and 33 of the Advocates Act, 1961.

**Explanation:** For the purposes of these rules, “foreign law” shall mean the law of all jurisdictions other than India. A foreign national enrolled under these rules shall have the same rights and limitations as an advocate enrolled in India to practise foreign law, international law, and international commercial arbitration, as provided under the Bar Council of India Rules for Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India, 2022 (as amended in 2025).

Such foreign national shall not, by virtue of citizenship of another country, claim any automatic right to practise the law of his or her home country in that country, unless such country independently permits the individual to do so under its own laws

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./473/2025-26]